



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.06.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2022 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1. रामगोपाल पुत्र मैकू निवासी ग्राम रजवापुर थाना भीरा खीरी
2. वर्मा पुत्र मैकू निवासी ग्राम तारागंज थाना भीरा
3. उत्तम पुत्र चंदन निवासी ग्राम रजवापुर थाना भीरा खीरी
4. अशर्फी पुत्र चंदन निवासी ग्राम रजवापुर थाना भीरा खीरी
5. शिवप्रसाद पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम रजवापुर थाना भीरा खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह

2. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार
3. हे ० का० सत्यप्रकाश पटेल
4. का० संजीव कुमार
5. का०घनश्याम यादव
6. का० विशाल कुमार
7. का० प्रदीप कुमार चीमा

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2022 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 04 नफर वारण्टी अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय सदर लखीमपुर खीरी के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

- 1.मेहंदी हसन पुत्र सत्तार निवासी महादेवा टांडा मजरा बधुवा थाना सिंगाही खीरी
- 2.सच्चन पुत्र नसरत निवासी महादेवा टांडा मजरा बधुवा थाना सिंगाही खीरी
- 3.सुभाष प्रसाद पुत्र राम बुत्रा प्रसाद निवासी प्रधानन पुरवा मजरा बधुआ थाना सिंगाही खीरी
- 4.सफी मोहम्मद पुत्र बकरीदी निवासी ग्राम महादेवा टांडा मजरा बधुवा थाना सिंगाही खीरी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री व्यास यादव थाना सिंगाही खीरी
- 2.का0 माधव यादव थाना सिंगाही खीरी
- 3.का0 राजेश कुमार थाना सिंगाही खीरी
- 4.का0 अरून कुमार थाना सिंगाही खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा, 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2022 को थाना भीरा पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तों को 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना भीरा पर आबकारी अधि० की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विनोद पुत्र रामकिशुन राठौर निवासी ग्राम भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी
2. बदकत्रे पुत्र स्व ० रामदेव लोधी निवासी ग्राम भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी
3. दुर्गेश कुमार पुत्र मंगत राम निवासी ग्राम भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी
4. रिंकू नाई पुत्र रामप्रशाद नाई निवासी ग्राम ढकिया थाना भीरा जनपद खीरी

बरामदगी-

कुल 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण

अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 269/2022 धारा 60(2) EX ACT
2. मु०अ०सं० 270/2022 धारा 60(2) EX ACT
3. मु०अ०सं० 271/2022 धारा 60(2) EX ACT
4. मु०अ०सं० 272/2022 धारा 60(2) EX ACT

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० श्री राजेश कुमार यादव
2. उप०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह
3. हे०का० बीर सिंह
4. हे०का० सत्यप्रकाश पटेल
5. का० संजीव कुमार
6. का० प्रदीप कुमार चीमा
7. का० राहुल कुमार
8. म०का० रजनी रमण

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ0सं0 1613/14 धारा 323/324/504/506 भादवि में 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों खुशीराम, दिनेश व राममिलन को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. खुशीराम पुत्र कुन्जन नि0 पड़रिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
2. दिनेश पुत्र पुत्तू नि0 पड़रिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
3. राममिलन पुत्र पुत्तू नि0 पड़रिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मदन मोहन द्विवेदी
2. हे0का0 रमाकान्त राव
3. का0 कपिल कुमार
4. का0 अनुज कुमार

थाना मितौली पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों नवीरसूल व चोचड उर्फ इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर माननीय न्या० भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. नवीरसूल पुत्र बाबू बंजारा नि० कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी
2. चोचड उर्फ इमाम हुसैन पुत्र अहमद नि० कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० सिद्धान्त पवार
2. हे०का० राजेन्द्र यादव

थाना मितौली पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 08.06.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 4875/- रूपये बरामद हुए। जिसके संबंध में थाना मितौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 172 लीटर अवैध शराब व 07 शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **172 लीटर अवैध कच्ची शराब व 07 शराब भट्टी** बरामद कर **17 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।